भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2360

(दिनांक 10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

2360. श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा:

श्री प्रवीन खंडेलवाल:

श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के आरंभ से अब तक इसके अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल लंबाई कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पर्यावरण अनुकूल और सतत् सड़क निर्माण पद्धतियों के एकीकरण सहित पूर्ण ग्रामीण संपर्क प्राप्त करने के लिए भावी रूपरेखा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या हाल के वर्षों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण की गति में कोई प्रगति हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): पीएमजीएसवाई की शुरुआत से अब (दिनांक 05.12.122024) तक विभिन्न जारी कार्यक्रमों/घटकों के अंतर्गत कुल 8,34,657.30 कि.मी. सड़क स्वीकृत की गई है, जिसमें से पूरे देश में 7,69,446.738 कि.मी. सड़क का निर्माण किया जा चुका है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) पीएमजीएसवाई में गुणवत्तापूर्ण सड़क कार्यों के निर्माण और सड़क परिसंपत्तियों की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र है। प्रथम स्तर के अंतर्गत,

कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों को फील्ड प्रयोगशाला में सामग्री और कारीगरी के संबंध में अनिवार्य परीक्षणों के माध्यम से प्रक्रिया नियंत्रण सुनिश्चित करना अपेक्षित है। दूसरा स्तर राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं के माध्यम से राज्य स्तर पर ढांचागत स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण के प्रारंभिक, मध्यवर्ती और अंतिम चरणों में प्रत्येक कार्य का निरीक्षण किया जाता है। तीसरा स्तर, जो राष्ट्रीय स्तर पर है इसके अंतर्गत गुणवत्ता की निगरानी करने और साथ ही फील्ड कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ व्यावसायिकों से मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जारी, पूर्ण हो चुके और अनुरक्षण चरण के सड़क कार्यों के औचक निरीक्षण करवाने के लिए स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं की तैनाती की जाती है। त्रि-स्तरीय तंत्र के अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता की आवधिक निगरानी के आधार पर , जहां कहीं आवश्यक होता है, राज्य सरकारों द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

उपर्युक्त के अलावा, इस स्कीम के अंतर्गत बनाई जा रही सड़कों के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय अपनाए गए हैं। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों का निर्माण उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के मानकों और विनिर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाता है। पांच वर्ष की रखरखाव संविदा को भी निर्माण समझौतों में शामिल किया जाता है, जिससे ठेकेदार निर्माण के बाद सड़क रखरखाव के लिए जिम्मेदार हो जाता है;

ii. चुनौतीपूर्ण इलाकों में सड़कों के लिए अभिनव और टिकाऊ निर्माण तकनीकों को तेजी से अपनाया जा रहा है;

iii. जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए , ऐसी सड़कों को डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो प्रतिकूल मौसम में टिक सकें। इसमें बेहतर जल निकासी प्रणाली, आपदा-रोधी संरचनाएं और जोखिमों को कम करने के लिए संरेखण योजनाएं शामिल हैं;

iv. राष्ट्रीय स्तर के गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं का दल समय-समय पर निर्माण स्थलों और पूरी सड़कों का निरीक्षण करता है ताकि गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। सुधारात्मक उपायों के माध्यम से विचलन की समस्या का समाधान किया जाता है; और

v. इंजीनियरों और ठेकेदारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि उन्हें नवीनतम प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों से परिचित कराया जा सके।

(ग) हाल ही में, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पीएमजीएसवाई- IV नाम से एक नया घटक शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य जनगणना 2011 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500+ आबादी वाली

और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों , विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची- V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्रों) और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित (एलडब्ल्यूई) जिलों में 100+ आबादी वाली सड़कों से न जुड़ी 25,000 बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना है। यह योजना वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 70,125 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से कार्यान्वित की जाएगी, जिसमें सड़कों से न जुड़ी 25,000 बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान करने का लक्ष्य है। इन सड़कों का निर्माण मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा , राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी द्वारा जारी नई प्रौद्योगिकी और दिशानिर्देश- 2022 संबंधी विजन दस्तावेज के अनुसार किया जाएगा|

(घ) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सभी घटकों के तहत कुल स्वीकृत 8,34,657 किलोमीटर सड़क लंबाई में से कुल 7,69,446.738 किलोमीटर (92 प्रतिशत) सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। इसकी घटकवार प्रगति निम्नानुसार है:

घटक	कुल स्वीकृत सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	निर्माण पूरा किया गया	% पूर्णता
पीएमजीएसवाई-I	6,44,872	6,24,580	97
पीएमजीएसवाई-II	49,795	49,022	98
पीएमजीएसवाई-III	1,21,896	86,590	71
आरसीपीएलडब्ल्यूईए	12,228	9,297	76

पीएमजीएसवाई-I, II, आरसीपीएलडब्ल्यूईए और पीएमजीएसवाई-III के तहत कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा मार्च 2025 है।

*****

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 10.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2360 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	राज्य का नाम	सड़क की स्वीकृत लंबाई (कि.मी.)	पूरी गई सड़क की लंबाई (कि.मी.)
1	अंडमान और निकोबार	378.273	119.193
2	आंध्र प्रदेश	20,413.273	17,849.093
3	अरुणाचल प्रदेश	16,772.612	13,683.236
4	असम	32,911.499	31,870.309
5	बिहार	65,619.383	61,053.384
6	छत्तीसगढ़	48,188.582	42,602.677
7	गोवा	155.850	155.330
8	गुजरात	15,732.552	15,329.471
9	हरियाणा	8,110.671	8,029.628
10	हिमाचल प्रदेश	24,977.616	21,525.972
11	जम्मू और कश्मीर	20,801.433	19,455.983
12	झारखंड	33,846.017	30,413.355
13	कर्नाटक	24,267.784	23,897.470
14	केरल	5,312.329	4,263.468
15	लद्दाख	1,621.810	1,105.357
16	मध्य प्रदेश	94,719.660	89,599.414
17	महाराष्ट्र	34,516.433	30,241.950
18	मणिपुर	12,175.175	10,854.309
19	मेघालय	5,978.552	4,717.683
20	मिजोरम	4,970.236	4,405.907
21	नागालैंड	4,944.631	4,322.410
22	ओडिशा	74,661.602	70,653.409
23	पुदुचेरी	66.365	62.358
24	पंजाब	11,617.670	10,235.258
25	राजस्थान	78,267.270	75,397.724
26	सिक्किम	5,220.122	4,716.570
27	तमिलनाडु	26,577.778	23,471.429

28	तेलंगाना	14,649.746	12,740.171
29	त्रिपुरा	6,138.424	4,957.376
30	उत्तर प्रदेश	77,408.741	74,379.893
31	उत्तराखंड	22,596.070	20,273.884
32	पश्चिम बंगाल	41,039.150	37,062.667
	कुल	834,657.309	769,446.738